CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 169 ▫ रायपुर, रविवार 13 जुलाई 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च सदन के लिए नामित किए 4 नाम

उज्ज्वल देवराव निकम, सी. सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन के नाम शामिल

नई दिल्ली, 13 जुलाई (न्यूज चैनल)। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार लोगों को मनोनीत किया है। इनमें सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सी. सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद् मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। ये नामांकन पूर्व में नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली पड़ी सीटों को मद्देनजर किए गए हैं।बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के खंड (3) द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के अंतर्गत इन लोगों को राज्यसभा के लिए चुना है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। ये लोग कला, साहित्य और लोक सेवा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं।

अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत रहे हैं श्रृंगला हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। उन्होंने पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में राजदूत का पद भी संभाला है। उन्होंने 2023 में भारत की

जी20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक के रूप में भी

मोदी ने दी बधाई

कार्य किया है।निकम ने मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में रखा सरकार का पक्ष ...उज्जवल देवराव निकम कानूनी क्षेत्र में एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में सरकारी वकील के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम चुनावों में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था।1994 में माकपा वालों ने काट दिए थे सदानंदन मास्टर के पैर....राज्यसभा के लिए नामित किए गए सी. सदानंदन मास्टर केरल के भाजपा सदस्य हैं। वे पूर्व में शिक्षक रहे हैं। उन्हें भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। वहीं, सदानंदन को 25 जनवरी, 1994 में राजनीतिक हिंसा के शिकार बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चारों लोगों को शुभकामनाएं दी।

ग्रामीण की हत्या करने वाला नक्सली गिरफ्तार

सुकमा, 13 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. जगरगुंडा पुलिस और 150वीं वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली रामा बोड़के को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नक्सली कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी रामा बोड़के पर ग्राम पूवर्ती में एक ग्रामीण की हत्या करने और मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने का आरोप है. इस संबंध में थाना जगरगुंडा में नक्सल निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में अब तक 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सघन अभियान जारी है. गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ की जा रही है और उससे और भी अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।

ब्रेकिंग न्यूज

नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जांजगीर-चांपा, 13 जुलाई (हाईवे चैनल)। जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, यहां बलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसतरा गांव में तालाब में नहाने गए चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा कि मृतकों में तीन लड़की और एक लड़के हैं। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।

जानकारी के अनुसार चारों बच्चे तीन अलग-अलग परिवार के थे। इनमें एक भाई-बहन भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। चारों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. बताया जा रहा कि सभी बच्चे 5-8 साल के बीच के हैं।

मृतक बच्चों के नाम- पुष्पांजली श्रीवास उम्र 08 वर्ष, तुषार श्रीवास उम्र 05 वर्ष, ख्याति केंवट उम्र 06 वर्ष, अंबिका यादव उम्र 06 सभी भैंसतरा निवासी।

खराब सर्जरी किट मामले में कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई : जायसवाल

रायपुर, 13 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में सर्जरी किट खराब मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लॉट की सप्लाई हुई थी. उसमें कई बैग की जांच किए गए हैं. जंग लगे बैग की भी जांच हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर यह ज्यादा मात्रा में पाई गई तो सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है. एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि जो मांगे पूरा कर सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा. स्वास्थ्य मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे हम पूरी गंभीरता से संचालित कर रहे हैं. भारत सरकार से चर्चा करके अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

पिता की हत्या में 6 साल की बेटी की गवाही बनी सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील

बिलासपुर, 13 जुलाई (हाईवे चैनल)। रायपुर, 13 जुलाई (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उसकी गवाही के लिए अन्य किसी सहायक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं माना है. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई. कोर्ट ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट दी है.

कांकेर निवासी राज सिंह पटेल ने 13 दिसंबर 2016 को पुलिस को सूचना दी कि गांव के मानसाय ने फांसी लगा ली है. मामले में पुलिस ने 8 जनवरी 2017 को मृतक की 6 साल की बेटी का बयान दर्ज किया. बच्ची ने पुलिस को बताया कि घटना की रात आरोपी पंकू ने उसके पिता की पेट में लात मारा, फिर स्कार्फ से गला दबाकर देवता घर में ले गया और बीच के मयार में लटका दिया. उस समय उसकी मां चूल्हे के पास बैठकर आग ताप रही थी, उसने चिल्लाने का प्रयास किया, तो उसकी मां ने रोक दिया.

बच्ची के बयान पर पुलिस ने धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज कर मृतक की पत्नी सगोर बाई एवं आरोपी पंकू को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. अपर सत्र न्यायाधीश ने बच्ची की गवाही पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की. अपील में 6 साल की बच्ची की गवाही को अविश्वसनीय एवं देर से बयान दर्ज करने को मुद्दा बनाया गया था. जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा इस घटना की महत्वपूर्ण गवाह अभियुक्त और मृतक की 6 वर्षीय पुत्री है. प्रारंभिक प्रश्न पूछकर, निचली अदालत ने साक्ष्य देने की अपनी क्षमता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया और फिर उसे दर्ज किया. उसने कहा है कि घटना की तारीख को अभियुक्त पंकू ने उसके पिता के पेट पर हमला किया था. उसके अनुसार, मृतक की पत्नी जो उस समय चूल्हे के सामने खुद बैठी थी, उसके ही दुपट्टे से उनका गला घोंट दिया था, उसके बाद पिता को देवता कक्ष में ले जाकर उन्हें बीच वाले बीम से लटका दिया गया. हाईकोर्ट की डीबी ने कहा कि, बाल गवाह ङ्क जिसने घटना को अपनी आँखों से देखा है, उसको किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने आरोपियों की अपील खारिज कर दी. डिवीजन बेंच ने आरोपियों को विधिक सेवा प्राधिकरण समिति की मदद से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट जरूर दी है.

कुलगाम में तीन बसें आपस में टकराईं, 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल

नई दिल्ली, 13 जुलाई (न्यूज चैनल)। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक और बड़ा हादसा सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के खुडवानी इलाके में बालटाल की ओर जा रहे अमरनाथ यात्रा काफिले की तीन बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज देने के बाद अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (त्रस्ष्ट) रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी यात्रियों की हालत स्थिर है और उन्हें मामूली चोटें आई हैं।

यह हादसा रविवार को सुबह के समय हुआ जब अमरनाथ यात्रियों का एक काफिला जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टचलू क्रॉसिंग के पास से गुजर रहा था। कुलगाम जिले के खुडवानी क्षेत्र में जैसे ही बसें टचलू क्रॉसिंग के पास पहुंचीं, तीन बसें एक-दूसरे से टकरा गईं। माना जा रहा है कि बसों की रफ्तार और ब्रेकिंग में हुई चूक के कारण यह टक्कर हुई। हालांकि हादसे की असली वजह की जांच की जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां नौ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अनंतनाग के त्रस्ष्ट अस्पताल में भर्ती किया गया। अनंतनाग के डॉक्टरों ने बताया कि घायलों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत अब स्थिर है। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार सभी घायलों की निगरानी कर रही है और जरूरत के अनुसार इलाज जारी है।

आईआईएम कोलकाता में हुए बलात्कार कांड की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी गठित

नई दिल्ली, 13 जुलाई (न्यूज चैनल)। कोलकाता पुलिस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में हुए कथित बलात्कार मामले की गहन जांच के लिए एक 9 सदस्यीय विशेष जांच दल (स्ढ्ढञ्ज) का गठन किया है। इस मामले के मुख्य आरोपी महावीर टोप्पनवर उर्फ परमानंद जैन को 12 जुलाई को 19 जुलाई तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

कोलकाता पुलिस के अनुसार, %डीसी साउथवेस्ट डिवीजन ने मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे मार दो..., राधिका के हत्या के बाद अपने भाई से बोला था दीपक यादव

नई दिल्ली, 13 जुलाई (न्यूज चैनल)। राधिका यादव हत्याकांड में राधिका यादव के चाचा विजय यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के बाद उसने मुझसे कहा, %भाई, मैंने कन्या वध कर दिया है। मुझे मार दो..... उसने कोई कारण नहीं बताया... उसने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। राधिका हत्याकांड में एक नए घटनाक्रम में, आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विजय यादव ने आगे कहा कि राधिका के पिता उसे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे और शाम को ट्रेनिंग चलने तक वापस लाते थे। उसने कहीं आना-जाना सब बंद कर दिया था। थाने में भी कहा था कि अगर फांसी का नियम है तो फांसी दे दो। वो टेनिस कोच थी। मेरे हिसाब से उसने अपनी कोई अकादमी नहीं खोली थी। ये लोग शुरू से ही अमीर थे। उसके पिता ने बहुत मेहनत की है। जब उनके गाँव में सबके कच्चे घर थे, तब उन्होंने पक्का घर बनाया। जब कोई खुद दोषी हो, तो उसे एहसास होने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को कहा कि पूर्व राज्यस्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की अपनी अकादमी नहीं थी और वह अलग-अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती थीं, जो उनके पिता को रास नहीं आ रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सुशांत लोक स्थित दोमंजिला मकान में बृहस्पतिवार को राधिका (25) की उनके पिता दीपक यादव (49) ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बिना उचित कारण पति से अलग रहने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण

नई दिल्ली, 13 जुलाई (न्यूज चैनल)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति से अलग रहती है, तो वह पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। यह फैसला मेरठ की एक फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दिया गया, जिसमें पत्नी को 5,000 रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मेरठ के रहने वाले विपुल अग्रवाल ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटिशन) दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने 17 फरवरी 2025 को आदेश दिया था कि पति विपुल अपनी पत्नी को ?5,000 और नाबालिग बच्चे को 3,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में दे।

न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के फैसले में स्पष्ट विरोधाभास है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि पत्नी पर्याप्त कारणों के बिना पति से अलग रह रही है, फिर भी भरण-पोषण देने का आदेश दे दिया गया, जो ष्टह्रक्क की धारा 125(4) का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार, अगर पत्नी बिना वैध कारण के पति से अलग रहती है, तो वह मेंटेनेंस की पात्र नहीं होती।

अगर ट्रायल कोर्ट खुद मानता है कि पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो फिर भरण-पोषण देना कैसे सही ठहराया जा सकता है? इससे न्यायिक प्रक्रिया में असंगति आती है। पत्नी और राज्य सरकार के वकीलों ने कहा कि पत्नी पति की उपेक्षा के कारण अलग रह रही है, इसलिए उसे भरण-पोषण मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला और उसमें दिए गए तर्क आपस में मेल नहीं खाते। हाईकोर्ट ने मामला फिर से विचार के लिए फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया है। जब तक ट्रायल दोबारा पूरी नहीं हो जाती, तब तक पति को अंतरिम राहत के तहत पत्नी को ?3,000 प्रति माह, बच्चे को ?2,000 प्रति माह देना होगा। यह फैसला साफ करता है कि सिर्फ अलग रहना ही भरण-पोषण का आधार नहीं हो सकता। महिला को यह साबित करना होगा कि वह उचित कारण से पति से अलग रह रही है। अगर कोई पत्नी बिना उचित कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तो उसे भरण-पोषण की राशि का हक नहीं होगा।

CMYK